उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-39/1571/30-3-14-32एम/2013टी0सी0
लखनऊ, दिनांक 16 जून, 2014

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 215(2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना संख्या-61जीआई/30-3-94-124एम/94, दिनांक 28-01-1995 एवं एतदविषयक अन्य अनुवर्ती अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को निम्नवत गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1-	मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2-	मा0 परिवहन मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन	उपाध्यक्ष
3-	मा0 लोक निर्माण मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
4-	मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5-	मा0 नगर विकास मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
6-	मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
7-	प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
8-	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
9-	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
10-	प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
11-	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
12-	प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
13-	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
14-	प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
15-	पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश	सदस्य
16-	निदेशक, यातायात, उत्तर प्रदेश	सदस्य
17-	परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश	सदस्य
18-	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
19-	मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	सदस्य
20-	इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन के राज्य स्तरीय अध्यक्ष	सदस्य
21-	निदेशक, आईआईटी, कानपुर	सदस्य
22-	राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि	सदस्य
23-	प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य सचिव
24-	सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि (दो)	सदस्य
25-	ट्रक एवं सवारी वाहनों से सम्बन्धित एसोसिएशनों के प्रतिनिधि (दो)	सदस्य
26-	मा0 मुख्यमंत्री जी/परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित 02 व्यक्ति	सदस्य

2- परिषद के अध्यक्ष किसी अन्य विषय विशेषज्ञ को परिषद के विशेष आमंत्री सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेंगे तथा किसी सदस्य का नामांकन निरस्त कर सकेंगे।

2/-

3- राज्य सड़क सुरक्षा परिषद निम्नलिखित कार्यों के सम्बन्ध में विचार कर निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी :-

(i) राजमार्गों एवं अन्य महत्वपूर्ण मार्गों के डिजाईन एवं निर्माण हेतु सड़क सुरक्षा के न्यूनतम मापदण्डों का समावेश हेतु सुझाव प्रदान करना।

(ii) प्रदेश में वाहन चालकों के कौशल के विकास एवं लाइसेन्स जारी करने की प्रक्रिया को सुदृढ करने हेतु ड्राइविंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट एवं ड्राइविंग ट्रैक के निर्माण तथा इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन हेतु सुझाव प्रदान करना।

(iii) सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु योजना तैयार करना, क्रियान्वयन एवं समन्वय।

(iv) सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समयान्तर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

(v) सड़क दुर्घटना में घायल एवं मृत व्यक्तियों को सहायता राशि देने के बारे में नीति/योजना तैयार करना।

(vi) मोटरयान अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नीति निर्धारित करना।

(vii) सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित योजनाओं (Scheme), एवं कार्यक्रमों (Programs) का निर्धारण।

(viii) रोड सेफ्टी से जुडे सभी विभागों के कार्यों में समन्वय हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करना।

(ix) यथावश्यकता सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार किया जाना।

3- राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक वर्ष में दो बार होगी। बैठक में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया परिषद द्वारा स्वयं निर्धारित की जायेगी।

ह0
(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

संख्या-39/1571 (1) /30-3-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2- परिषद में सदस्य के रूप में सम्मिलित मा0 मंत्रीगण के निजी सचिवगण।
3- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- सचिव, भारत सरकार, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, 01 परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन।
9- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3/-

12- प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

13- प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

14- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

15- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

16- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

17- निदेशक, यातायात, उत्तर प्रदेश।

18- मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 3/248, विशाल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

19- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, चतुर्थ तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, लखनऊ।

20- इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन के राज्य स्तरीय अध्यक्ष।

21- निदेशक, आईआईटी, कानपुर।

22- राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि।

23- समस्त उप परिवहन आयुक्त/सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।

24- सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि।

25- ट्रक एवं सवारी वाहनों से सम्बन्धित एसोसिएशनों के प्रतिनिधि।

26- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने तथा मुद्रित/प्रकाशित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ शासन के परिवहन अनुभाग-3 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

27- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0

(नर्वद सिंह)

संयुक्त सचिव।